न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1226-III/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 01-07-2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 27/अपील/2002-03

गंगाराम आत्मज नत्थू
निवासी ग्राम दामखेड़ा तहसील
सिरोंज जिला विदिशा म0प्र0

...... आवेदक

विरूद्ध

1—पूरन आत्मज तोरन
निवासी ग्राम दामखेड़ा तहसील
सिरोंज जिला विदिशा
2—म0प्र0शासन

..........अनावेदकगण

....

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक आवेदक
श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक / / को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 27/अपील/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 01—07—2003 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दामखेड़ा के रिक्त कोटवार के पद पर तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 12—4—1993 से आवेदक को अस्थाई कोटवार नियुक्त किया गया । तहसील न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील

अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के यहाँ प्रस्तुत हुई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 21–9–1993 से प्रकरण तहसील न्यायालय को रिमाण्ड किया । जाँच उपरांत नायब तहसीलदार सिरोंज ने आदेश दिनांक 1–2–1994 के द्वारा पुन आवेदक को कोटवार नियुक्त किया । नायब तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध पुनः अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–12–1995 के द्वारा स्वीकार की गई तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार ने अनावेदक पूरन को ग्राम दामखेड़ा का कोटवार नियुक्त किया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत हुई जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–1998 के द्वारा स्वीकार करते हुये प्रकरण पुनः तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–1998 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत हुई जो अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 11–09–2001 के द्वारा अंशतः मान्य की गई तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर पंचायत प्रस्ताव पर विचार करते हुये ग्राम दामखेड़ा के स्थाई कोटवार की नियुक्ति की कार्यवाही की जाये । नायब तहसीलदार सिरोंज ने उक्त आदेश का पालन किये बगैर 29–7–2002 को पारित आदेश के द्वारा अनावेदक पूरन को ग्राम दामखेड़ा का स्थाई कोटवार नियुक्त किया । इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत हुई जो उनके आदेश दिनांक 14–8–02 के द्वारा अस्वीकार कर दी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–8–02 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत हुई जो अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–7–2003 से निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–7–2003 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण मे आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमो को ही अपनी बहस बनाया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में मुख्य रूप से यह आधार लिया कि अपर आयुक्त न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने के पूर्व इस ओर ध्यान नहीं दिया कि आवेदक के पक्ष मे पंचायत द्वारा प्रस्ताव दिया गया है तथा पूर्व के अपर आयुक्त के आदेश में उसी आधार पर जॉच करते हुये कोटवार पद पर नियुक्त किये जाने हेतु तहसील न्यायालय को निर्देशित किया गया था परन्तु नायब तहसीलदार ने अपर आयुक्त के रिमाण्ड आदेश दिनांक 11–9–2001 को नजरअदाज करते हुये अनावेदक कमाक 1 को कोटवार बनाये जाने के आदेश दिये हैं जो उचित नहीं है । निगरानी ममो में यह भी आधार लिया कि तहसील न्यायाल्य ने संहिता की धारा 230 बने नियमों का पालन तहसील न्यायालय द्वारा नहीं किया है और ना ही तहसील न्यायालय ने विधिवत् इश्तिहार जारी नहीं किया है और ना ही नोटिस जारी किये गये है । इस तथ्य पर भी अपर आयुक्त द्वारा ध्यान नहीं दिया जाकर आदेश पारित करने मे विधिक भूल की है । निगरानी ममो में यह भी आधार बताया कि आवेदक ही कोटवार का निकट संबंधी है इससे पूर्व उसके पिता के चाचा मुल्ला आत्मज धारू ग्राम कोटवार थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में उक्त ग्राम के कोटवार के रूप में कार्य किया । उनकी वृद्ध अवस्था हो जाने के कारण वह कोटवार का कार्य करने में असमर्थ रहा इस बजह से तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को आदेश दिनांक 1–2–1994 से स्थाई रूप से चौकीदार नियुक्त किया गया था । मुल्ला निःसंतान था, ऐसी दशा मे आवेदक ही उनका एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी था । अंत में निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त करते हुये आवदक को स्थाई कोटवार बनाये जाने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक कमांक 1 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह बताया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से

अवलोकन किया गया । प्रकरण लम्बे समय से विभिन्न न्यायालयों में प्रचलनशील रहा है आवेदक का उसके पक्ष में मुख्य तर्क उसका पूर्व कोटवार का निकट संबंधी होना है इस बिन्दु का परीक्षण विचारण न्यायालय ने किया है तथा यह माना है कि आवेदक द्वारा पूर्व कोटवार के निकट संबंधी होने की कोई साक्ष्य पेश नहीं की । अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य पेश करने का भार उसका था । दोनों आवेदकों में अनावेदक को अधीनस्थ न्यायालय ने ज्यादा योग्य पाया हे । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है । उन पर विश्वास न करने का कोई आधार आवेदक ने पेश नहीं किया ।

6- अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.